उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 520 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29/पाकालि /2015–16–वे०प्र०(30)/2000 दिनांक 04 जुलाई, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

विषयः– स्थानीय बहिर्गमन भत्ता / वाहन भत्ता (*Local Outdoor Duty Allowance*) की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

1. उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती परिषदादेश सं० 1693–पी/राविप–तीस–77पी/1986 दिनांक 11 नवम्बर, 1988, सं०–2034–पी/रा0वि0प0–30–75पी/86 दिनांक 31.12.1988 एवं सं०–276–पी/रा0वि0प0–तीस–35पी/86 दिनांक 12.03.1992 द्वारा निर्गत आदेशों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता की अनुमन्यता निम्नवत् प्रदान की गई थी :–

क्रम सं0	वर्ग	लखनऊ में	अन्य महानगर बरेली और मेरठ को सम्मिलित करते हुए	अन्य जिला मुख्यालय में।
1.	अधिशासी अभियंता के वेतनमान में या उनके समकक्ष व उससे उच्च निजी वाहन मोटर कार रखने वाले अधिकारी	रू0 560/– प्रतिमाह	रू0 480/– प्रतिमाह	रू0 360/– प्रतिमाह
2.	निजी स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी/अवर अभियंता	रू0 200/– प्रतिमाह	रू0 200/– प्रतिमाह गोरखपुर, मुरादाबाद सहित उपरोक्त शहर	रू0 160/– प्रतिमाह
3.	परिषद सचिवालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के मोटर साइकिल/स्कूटर/मोपेड रखने वाले अराजपत्रित कर्मियों को	रू0 200/– प्रतिमाह	– –	– –

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 26 जून, 2015 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता की

(क्रमशः.......2)

संशोधित दरें निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्रम सं०	वर्ग	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दर
1.	अधिशासी अभियंता पद या उसके समकक्ष व उससे उच्च ग्रेड–वेतन के निजी वाहन मोटर कार रखने वाले अधिकारी	रू० 1600/– प्रतिमाह
2.(अ)	– निजी स्कूटर/मोटर साइकिल आदि रखने वाले अधिकारी/अवर अभियंता	रू० 700/– प्रतिमाह
(ब)	– मोपेड रखने वाले	रू० 300/– प्रतिमाह
3.(अ)	– परिषद सचिवालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के मोटर साइकिल/स्कूटर रखने वाले अराजपत्रित कर्मियों को	रू० 700/– प्रतिमाह
(ब)	– मोपेड रखने वाले	रू० 300/– प्रतिमाह

3. वाहन भत्ता/बहिर्गमन भत्ता की उपरोक्त संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से, अर्थात आदेश निगर्मन की तिथि से लागू होंगी। उपरोक्त भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्दिष्ट अन्य शर्तें आदि यथावत् लागू रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० 520–(I) काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर–। एवं ।।), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड, महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 26 जून, 2015 को सम्पन्न 117(15) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
19. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(जावेद अहमद) 9/7/1

संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)